<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

01.05.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 4 सहपठित धारा 12 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफओ) घोषित करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई थी। श्री राहुल प्रकाश, माननीय न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पीएमएलए) लखनऊ ने दिनांक 30-04-2025 के आदेश के तहत राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 12(1) के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

ईडी ने नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई लगभग 554 एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी। एफआईआर में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था जिसमें उच्च रिटर्न के वादे के साथ धोखाधड़ी वाली रियल एस्टेट योजनाओं और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के माध्यम से लगभग 800-1000 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि एकत्र की गई थी। निवेशकों को अंततः धोखा दिया गया।

जांच के आधार पर ईडी ने अवैध रूप से एकत्रित धन को वैध बनाने में शामिल प्रमुख आरोपियों और संबंधित संस्थाओं की पहचान की। ईडी ने इस मामले में 04 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं और 127.98 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं, जिनकी पहचान अपराध की आय के रूप में की गई है।

जांच के दौरान पता चला कि राशिद नसीम ने जानबूझकर जांच से बचने की कोशिश की, समन जारी होने के बावजूद पेश नहीं हुआ और आखिरकार नेपाल के रास्ते भारत से फरार हो गया और वर्तमान में दुबई, यूएई में रह रहा है। इंटरपोल द्वारा गैर-जमानती वारंट, लुक आउट सर्कुलर और रेड नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, राशिद नसीम ने आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया। तदनुसार, ईडी ने एफईओए, 2018 के तहत उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।

रिकार्ड में प्रस्तुत सामग्री की जांच और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के बाद, माननीय न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि:

- राशिद नसीम ने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ दिया, और
- विदेश में होने के कारण उन्होंने कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए वापस लौटने से इनकार कर दिया है।

न्यायालय ने कहा कि आवेदक (ईडी) ने एफईओए की धारा 4(2) और भगोड़े आर्थिक अपराधी (घोषणा के लिए आवेदन) नियम, 2018 के नियम 3 के तहत अपेक्षाओं को पूरा किया है।

तथ्यों और साक्ष्यों के मद्देनजर, राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, तथा 127.98 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क सम्पत्ति की जब्ती की कार्यवाहियाँ अब कानून के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष शुरू जाएगी |